विभाग का नाम— महिला एवं बाल विकास विभाग

कार्यालयाध्यक्ष का नाम— मोहित चौधरी
टेलीफोन नम्बर— कार्यालय—01334—239045
मोबाईल—9410567544
कार्यालय कक्ष संख्या व तल— 14, भूतल
ई—मेल आई0डी0— icdsharidwar@gmail.com

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, हरिद्वार के अन्तर्गत संचालित योजनायें

उद्देश्य—

- 06 माह से 06 वर्ष तक की आयु के बच्चों की पौष्टिकता तथा स्वास्थ्य स्तर को बढाना।
- बच्चों के सही मानसिक, शारीरिक और मानसिक विकास की नींव डालना।
- बच्चों की मृत्यु—दर, कुपोषण तथा पाठशाला को छोडने की प्रवृत्ति को कम करना।
- माताओ में ऐसी क्षमता का विकास करना जिससे वे बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य तथा उनकी आहार सम्बंधी आवश्यकताओ का स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा की सहायता से ध्यान रख सके।
- बाल—विकास को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न विभागो के बीच नीति तथा कार्यान्वयन में प्रभावशाली समन्वय (मेल—जोल) स्थापित करना।

❖ **सेवाएँ :—समन्वित बाल विकास सेवा योजना अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न सेवायें प्रदान करती है—**

- **पूरक पोषक आहार(टेक होम राशन):—**इस योजना के अन्तर्गत् 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलायें, धात्री माताऐ तथा किशोरियों को घर पर लिये जाने वाले भोजन और अनुशासित दैनिक मात्रा के अन्तर को दूर करने हेतु प्रतिदिन पूरक पोषाहार के रूप में दिया जाता है।
- **स्वास्थ्य जॉच—**उक्त सेवा के अन्तर्गत् 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती, धात्री महिलाओ तथा किशोरी बालिकाओ के स्वास्थ्य की आंगनबाडी कार्यकर्ती द्वारा ए0एन0एम0, एल0एच0वी0 तथा डाक्टर के सहयोग से जॉच कर बीमारियो, कुपोषण संक्रमण अथवा विकलांगकता का पता लगाया जाता है।
- **वजनः—**आंगनबाडी कार्यकर्ती द्वारा बच्चो (0 माह से 05 वर्ष) की वृद्दि निगरानी तथा कुपोषण की प्रारम्भिक अवस्था में ही पहचान करने हेतु वजन लिया जाता है।
- **पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षाः—**

❖ आंगनबाडी कार्यकर्तियो द्वारा पोषाहार वितरण(प्रत्येक शनिवार) के दिन महिलाओ किशोरियो को स्वास्थ्य की जानकारी एवं प्राथमिकी सावधानियॉ रखने विषयक जानकारी दी जाती है।

❖ प्रत्येक माह के विषय निर्धारित कर शिक्षा प्रदान की जाती है।

- आंगनबाडी केन्द्रो पर 03 से 05 वर्ष तक के बच्चों का वजन लिया जाता है तथा 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों का वजन प्रत्येक शनिवार को आयोजित स्वास्थ्य व पोषाहार बैठक के समय लिया जाता है । उक्त बैठक में बच्चो व महिलाओ द्वारा अधिक से अधिक वजन कराने हेतु प्रेरित किया जाता है।
- **टीकाकरणः—**0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिलाओ को स्वास्थ्य विभाग(ए0एन0एम0) के सहयोग से प्रत्येक बुधवार टीकाकरण करवाना जिसके अन्तर्गत् बी0सी0जी0, डी0पी0टी0, पोलियो खसरा, डी0टी0, टी0टी0, के टीके लगवाए जाते है।

- **सन्दर्भित सेवाएँ:–** 0 माह से 06 वर्ष के कुपोषित बच्चो, तथा खतरें वाली गर्भवती, धात्री महिलाओ को उपकेन्द्र पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 में सन्दर्भित किया जाता है।
- इस हेतु आंगनबाडी कार्यकर्ती के पास सन्दर्भ पर्चियो की व्यवस्था होती है।

अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा :–

- 3–6 वर्ष तक के बच्चों को परिवार एवं समाज में स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए तैयार किया जाता है।
- बच्चो को अपने आस–पास के वातावरण, दैनिक क्रियाओ सम्बंधो को, भावगीतो व खेलो द्वारा सिखाया जाता है।
- स्थानीय उपलब्धता के आधार पर खेलने की सामग्री से खेल क्रियाऐं करवाई जाती है।
- बच्चों में स्कूल जाने की आदतो का विकास, रंगो, आकृतियो, प्रकृति के ज्ञान के साथ–साथ ही संस्कारो के विकास पर जोर दिया जाता है।
- स्कूल पूर्व शिक्षा सेवा के अन्तर्गत् विभाग का अपना एक पाठ्यक्रम है, जिसके आधार पर सर्दियो में प्रातः 09 बजे से अपराहन 01 बजे तक तथा गर्मियो में प्रातः 08 बजे से दोपहर 12 बजे तक केन्द्रो पर विविध गतिविधियो संचालित की जाती है।
  - **"हमारी कन्या हमारा अभिमान"** महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा 01 जनवरी 2009 से लागू की गई नन्दा देवी कन्या योजना को शासनादेश संख्या 386 दिनांक 21.02.2014 के अनुसार नये स्वरूप में "हमारी कन्या हमारा अभिमान" कर दिया गया है। शासनादेश संख्या 737 दिनांक 27.05.2009 के प्रस्तर 02 के अनुसार कन्या शिशु के जन्म के समय प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि 5000 रूपये से बढाकर रूपये 15000 कर दी गयी है। जिसमें रूपये 5000 कन्या शिशु के जन्म के समय रेखाकिंत चैक के माध्यम से एवं रूपये 5000 कन्या के 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर रेखाकिंत चैक के माध्यम से कन्या के अभिभावको को दी जायेगी तथा अवशेष धनराशि ब्याज सहित 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर कन्या को प्रदान की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत 01 जनवरी 2009 से बी0पी0एल0/आय प्रमाण पत्र के आधार पर परिवार में जन्म लेने वाली एक ही परिवार की अधिकतम 02 कन्याओं को लाभ प्रदान किया जायेगा।
- **सबला योजना–निम्नाकिंत उदेश्यो की पूर्ति हेतु 11 से 18 वर्ष की किशोरियो के लिए सबला योजना चलायी जा रही है–**

01–आत्मविश्वास एवं सशक्तिकरण हेतु किशोरियो को सक्षम बनाना।
02–उनके पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना।
03–स्वास्थ्य, सफाई, पोषण, किशोरी प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य(ए0आर0एस0एच0) और परिवार एवं बाल देख–रेख के विषयक में जागरूकता को बढावा देना।
04–उनके घरेलू कौशलो, जीवन कौशलो एवं व्यवसायिक कौशलो का उन्नयन करना।
05–पढाई छोड चुकी किशोरियो को औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोडना।
06–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डाकघर, बैंक तथा पुलिस स्टेशन आदि जैसी मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं के बारे में सूचना/मार्गदर्शन प्रदान करना। लगभग 36000 किशोरी बालिकाओ को आई0एफ0ए0 टेबलेट का वितरण किया जा चुका है तथा 2200 किशोरी बालिकाओ को जीवन कौशल तथा किशोरी किट का प्रशिक्षण सम्पन्न किया जा चुका है तथा 44 किशोरियो को व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा सखी सहेली एवं आई0ई0सी0समेत एन0एच0ई0 घटक व सार्वजनिक सेवाओ के मूल्याकंन हेतु मार्गदर्शन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

- **इन्दिरा प्रियदर्शनी महिला छात्रावास**–जनपद हरिद्वार में औद्योगिक इकाईयो में कार्य करने वाली महिलाओ की सुरक्षा की दृष्टि से न्यूनतम दरों पर उन्हे आवासीय सुविधाओं का लाभ दिये जाने हेतु हाल ही में दिनांक 10.01.2014 को इन्दिरा प्रियदर्शनी महिला छात्रावास, बहादराबाद जनपद हरिद्वार में शिलान्यास किया गया।
- **एम0आई0एस0** के अन्तर्गत आंगनबाडी केन्द्रों की नवीन पंजिकाओं पर आई0सी0डी0एस0 कर्मियो के प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर मुख्य सेविकाओ के माध्यम से दिया गया।

❖ **टेक होम राशन** (टी0एच0आर0)–मॉ राज राजेश्वरी अनुपूरक पोषाहार योजना के अन्तर्गत जनपद के सभी गर्भवती धात्री एवं 06 माह से 03 वर्ष के पंजीकृत बच्चे तथा अतिकुपोषित बच्चो को माह में निर्धारित तिथि के अनुसार दिया जा रहा है। जिसका मानक निम्न प्रकार है।

लाभार्थी वर्ग	सामग्री का नाम	मासिक सामग्री की मात्रा
06 माह से 03 वर्ष के बच्चे	दलिया	1.50किग्रा0
	छुवारा	250ग्राम
	मूॅगदाल छिलका	500ग्राम
	भूना चना	250ग्राम
गर्भवती / धात्री महिला	चना दाल	1.50किग्रा0
	भूना चना	250ग्राम
	छुवारा	250ग्राम
	आयोडीन युक्त नमक	01किग्रा0
अति कुपोषित बच्चे	दलिया	1.5किग्रा0
	मूॅगदान छिलका	500ग्राम
	भूना चना	250ग्राम
	बादाम गिरी	100ग्राम
	छुवारा	200ग्राम

❖ **कुक्ड फूड(माता समिति)** के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में 03 से 06 वर्ष के अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु केन्द्र पर आने वाले बच्चो को पकाकर नाश्ता एवं दोपहर का भोजन तय रैसीपी के अन्तर्गत दिया जा रहा है।

❖ **आंगनबाडी स्थापना**–स्वीकृत आंगनबाडी केन्द्र 3056 मुख्य केन्द्र तथा 123 मिनी आंगनबाडी केन्द्र है। वर्तमान में 2849 मुख्य केन्द्र तथा 64 मिनी आंगनबाडी केन्द्र संचालित है। रिक्त आंगनबाडी केन्द्रो पर विज्ञप्ति जारी की गयी थी जिसके अन्तर्गत बिना आपत्ति वाले आवेदन पत्रो पर मुख्य विकास अधिकारी / जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन उपरान्त नियुक्ति पत्र जारी कर दिये गये थे। जिन आवदेन पत्रो पर आपत्ति थी के प्रमाण पत्रो की जॉचोपरान्त नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया अमल में लायी जायेगी।

❖ **मुख्यमंत्री वृद्व महिला पोषण योजनाः** मुख्यमंत्री वृद्व महिला पोषण योजना के अन्तर्गत लाभार्थियो हेतु टेक होम राशन की सामग्री महिला समूहो / फेडरेशन द्वारा वृद्वावस्था पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओ को निम्नानुसार सामग्री दी जायेगीः–

लाभार्थी वर्ग	सामग्री का नाम	मासिक सामग्री की मात्रा
वृद्वावस्था पेंशन प्राप्त करने वाली महिलायें	दलिया	1.50किग्रा0
	किशमिश	75ग्राम
	मूॅगदाल छिलका	500ग्राम
	भूना चना	250ग्राम

(मोहित चौधरी)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
हरिद्वार।